

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या:—05 / 2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री हीना कौशर दर्गारोड, तलाई के पास गांव कुमारी तहसील नागौर  
जिला नागौर।

—अपीलार्थी

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

—प्रत्यार्थी


आदेश

दिनांक:—28.02.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2019 के साथ संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2018 की प्रति के अनुसार प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार संगरिया से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई है। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2019 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील के रूप में दर्ज किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से अपील में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी की यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2019 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार सूचना आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन में उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

  
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी  
एवं जिला कलक्टर  
हनुमानगढ